राजस्थानसरकार

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद सीकर

क्रमांक :–लेखा/2020–21/1057 दिनांक :– 11.06.20

बोली सं0 01/2020–21

श्रीमान आयुक्त कृषि,कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 7851–8021 दिनांक 01.06.2020 के तहत वर्ष 2020–21 में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) व अन्य योजनान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर होने वाले संभावित कृषक भ्रमण एवं प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित कार्यों के लिए इच्छुकफर्मों/बोलीदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में अलग–अलग सीलबंद बोली आमन्त्रित की जाती हैं। बोली दिनांक 26.06.2020 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 26.06.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष गठित कमेठी द्वारा खोली जावेगी। बोली प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 26.06.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक बोली शुल्क जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा से संबंधित जानकारी कार्यालय समय में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। जिसका NIB CODE AGR2021A0030 हैं।

क्र. स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	UBN NO.
1	2	3	4	5	6
1.	भोजन व जलपान (नाश्ता,चाय व मिठाई)	800000	400	16000	AGR2021A0031
2.	परिवहन व्यवस्था 35 व 52 सीटर बस एवं 15 सीटर जीप/क्रूजर वाहन किराये पर लेने हेतु	450000	400	9000	AGR2021A0032

अमानत राशि का बैंकर चैक/डीडी उपनिदेशक कृषि (वि0) जि0 प0 सीकर के नाम से देय होगा। अलग–अलग सीलबंद बोली लिफाफों पर कार्य का विवरण अनिवार्यत लिखना होगा। बोली प्रपत्र एवं बोली की शर्ते http://sppp.raj.gov.in व कृषि विभागीय वेबसाइट http://krishi.raj.gov.in पर भी देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ बोली शुल्क का डीडी /बेंकर्स चैक संलग्न करना होगा।

(शिवजीराम कटारिया)
उपनिदेशककृषि (वि0)
जि0प0सीकर

क्रमांक :–लेखा/2020–21/1057 दिनांक :– 11.06.20

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशककृषि (विस्तार) कृषि खण्ड, सीकर, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को D.I.P.R की निर्धारित दर पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर विभागिय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड कराने हेतु।
4. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यालय हाजा/Sppp.Raj.nic.in पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(शिवजीराम कटारिया)
उपनिदेशककृषि (वि0)
जि0प0सीकर

उप निदेशक कृषि (वि.) जि. प. सीकर

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जि0प0 सीकर
खुली बोली प्रारूप

1	बोली प्राधिकारी कार्यालय कानाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं0	01/2020–21 कमांक 1057 दिनांक 11.06.2020
3	बोली विकय की दिनांक व समय	26.06.2020 दोपहर 12.00 बजे तक
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	26.06.2020 दोपहर 1.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	26.06.2020 सायं 3.00 बजे
6	बोलीदाता का विवरण	बोलीदाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं0.......................... मो0..............................
7	कार्य का विवरण	वर्ष 2020–21 मे जब आवश्यकता होने के आधार पर कृषक प्रशिक्षण (राज्य में एवं राज्य के बाहर) हेतु 15 सीटर सवारी गाडी व जीप/कूजर तथा भ्रमण हेतु 35 व 52 सीटर बस वाहन किराये पर लेने हेतु।
8	अनुबंध अवधि	वर्ष 2020–21 मे जब आवश्यकता होने के आधार पर
9	बोली शुल्क राशी 400/–	रसीद/डीडी सं.............................दिनांक......................
10	अमानत राशी 9000/–	रसीद/डीडी सं.............................दिनांक......................
11	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैने/हमने उपनिदेशक कृषि विस्तार सीकर द्वारा गठित कय समिति द्वारा जारी की गई खुली बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो का मेरे/ हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

वाहनों के किराये की दरें निम्न प्रकार से है :–

उप निदेशक कृषि (वि.)
जि० प० सीकर

दर प्रति किलोमीटर (समस्त खर्चो सहित)

क्र.स.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किलोमीटर सभी खर्चो (डीजल/ऑयल) सहित (अन्य राज्यों के वास्तिविक कर को सम्मिलित नही किया गया हैं।)	वि.वि.
1.	सवारी/ क्रूजर गाड़ी 15 सीटर		
2.	बस व मिनी बस 35 सीटर		
3.	बस व मिनी बस 52 सीटर		

बोलीदाता के हस्ताक्षर

....

फर्मकामालिक/प्रतिनिधि कानाम व पता

....

....

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जि0प0सीकर

वर्ष 2020–21 में संभावित कृषक प्रशिक्षण हेतु 15 सीटर सवारी गाडी जीप/कूजर व भ्रमण हेतु 35 तथा 52 सीटर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित खुली बोली की शर्तेः–

नोट : बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. इच्छुक निविदादाता वाहन किराये की दर उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में जिस पर **"वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु खुली बोली"** लिखकर ही प्रस्तुत करें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. वाहन किराये(अनुबंध) हेत बोली उन्ही बोलीदाताओं की स्वीकार जावेगी जो राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग मे पंजिकृत है।
3. बोलीदाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न दस्तावेज वाहन के साथ मे आवश्यक रूप से रखने होगें :–
   1. वाहन पंजियन प्रमाण पत्र
   2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र
   3. वाहन कर चुकता प्रमाण पत्र
   4. वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र
   5. वाहन का बीमा सम्बन्धी प्रमाण पत्र
   6. वाहन प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र

उप निदेशक कृषि (वि.) जि० प० सीकर

4. वाहन टैक्सी परमिट होकर, अच्छी कण्डीशन मे होना चाहिए।
5. वाहन Comprehensure बीमित होना चाहिए।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गए रूट चार्ट के अनुसार ही कृषक भ्रमण के दौरान वाहन को ले जाना होगा।
7. बोली वास्तविक वाहन मालिक/फर्म के प्रोपराईटर द्वारा ही दी जाये।
8. वाहन किराये की दरे प्रति कि.मी.से प्रस्तावित की जावे जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित हों।
9. वाहन के उपयोग के लिए किये जाने वाले डीजल एवं अन्य खर्चो का भुगतान वाहन मालिक (बोलीदाता) द्वारा किया जावेगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
10. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान आदि होने पर, इनका का व्यय मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। इस कार्यालय का कोई दायित्व नही होगा।
11. यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे,रात्रि विश्राम व वाहन पार्किग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
12. वाहन चालक सदाचारी हो,नशीले पदार्थो का प्रयोग नही करता हो व व्यवहार कुशल रूप मे उपस्थित हो।
13. वाहन संचालन पर किमी की गणना प्रारम्भिक रिर्पोटिग स्थान से वापस यात्रा समाप्ति पर उसी स्थान तक की जावेगी तथा लॉग बुक का संधारण किया जाकर भ्रमण प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
14. किराया प्रति कि.मी.(जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित) हैं व अन्य राज्यों के वास्तविक कर के अलावा अन्य कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
15. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं तथा शर्तो एवं समझौतों पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
16. बोलीदाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा जाना चाहिए।इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
17. बोली मे बोलीदाता द्वारा लगाई गई शर्ते मान्य नही होगी।
18. दरें वर्ष 31.03.2021 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
19. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार मांग में परिवर्तन किया जा सकता हैं।
20. कार्य सन्तोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा तथा नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेंगी।
21. उपापन कमेटी किसी भी बोली को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु व बोली शर्तो मे संशोधन हेतु सक्षम होगा।
22. विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र, सीकर होगा।

23. निर्धारित समय/अवधि में कार्य सम्पादन नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।
24. बोलीदाता अपनी बोली को या बोली के किसी भाग को अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा तथा सबलेट पर भी नहीं देगा।
25. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने या संचालित वाहन खराब होने पर निविदादाता/ट्रांसपोटर की रिस्क पर बाजार दर से दूसरे वाहन किराये पर ले लिये जायेगें तथा बोली में स्वीकृत दर तथा दूसरे वाहन मालिको को देय वास्तिविक किराये की अन्तर राशि की वसूली बोलीदाता से की जावेगीं।
26. दुर्गम स्थान जहाँ बडा वाहन जाना संभव नही हो वहां पहुचने हेतु अन्य साधन की व्यवस्था वाहन मालिक द्वारा बोली मे दी गई दरों पर करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
27. वाहन आवश्यकता के अनुसार नियत तिथि को नियत स्थान पर उपलब्ध करवाने होगें जिसके लिये अलग से समय पर लिखित आदेश दे दिये जावेंगें ।
28. उपरोक्त के अलावा अन्य शतें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वितिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।
29. बोली प्रपत्र शुल्क वापस देय नही होगा। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ शुल्क की राशि का बैकर चैक/डीडी बोली के साथ पृथक से संलग्न करना होगा जो उपनिदेशक कृषि (वि.)जिला परिषद सीकर के नाम देय होगा।
30. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी । तथा बोली के साथ बोली के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
31. अमानत राशी का बैकर चैक/डीडी **उपनिदेशक कृषि (वि.)जिला परिषद सीकर** के नाम देय होगा।
32. सफल बोली दाता को बोली की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि का उसमें समायोजन कर लिया जावेगा।
33. अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समर्पण कर लिया जा सकता है:—
    (अ) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापिस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता हैं।
    (ब) जब बोलीदाता निर्विदिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
    (स) जब बोलीदाता अदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।
34. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा।
    (अ). जब शर्तो का उल्लंघन किया जावेगा।
    (ब). जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई/कार्य संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहेगा।
35. सफल बोलीदाता को 500 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध एस. आर. फार्म 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उसकी लागत को बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
36. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं समय समय पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, आदेश प्रभावी होंगें तथा Annexure A, B, C & D की पूर्ति आवश्यक हैं।

उप निदेशक कृषि (वि.)
जि० प० सीकर

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 36 तक शर्ते मुझे/हमें स्वीकार हैं जिसके सहमति स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) सीकर

बोली प्रारुप

उप निदेशक कृषि (वि.) जि. प. सीकर

1	बोली प्राधिकारी कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं0	01 / 2020–21 क्रमांक 1057 दिनांक 11.06.2020
3	बोली विक्रय की दिनांक व समय	26.06.2020 दोपहर 12.00 बजे तक
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	26.06.2020 दोपहर 1.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	26.06.2020 सायं 3.00 बजे
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता / प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं0......................... मो0.......................... ....
7	कार्य का विवरण– भोजन,नाश्ता व चाय की आपूर्ति	आवश्यकता होने पर विस्तार अधिकारी / कार्मिक / कृषक प्रशिक्षणों / भ्रमण / कार्यशालाओं / सेमिनारों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय की आपूर्ति
8	अनुबंध अवधि	31.03.2021
9	बोली शुल्क राशी 400 / –	रसीद / डीडी सं..............................दिनांक........................
10	अमानत राशी 16000 / –	रसीद / डीडी सं..............................दिनांक........................
11	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैने / हमने उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे / हमें बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो का मेरे / हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने / हमनें हस्ताक्षर कर दियें है। मै. / हम ....घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैने / हमने जिस कार्य के लिए बोली दी है, उसका मैं बोनाफाइड स्वामी / पंजिकृत फर्म का मालिक हूं।यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति / धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

उप निदेशक कृषि (वि.)
जि.प. सीकर

विस्तार अधिकारियों/कार्मिको/कृषक प्रशिक्षणें/भ्रमण/सेमिनार में प्रतिभागियों को भोजन नाश्ता व चाय आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दरें :–

क. सं.	**भोजन डाइट व चाय नाश्ता**	**मिनू विवरण**	**प्रस्तावित दरें प्रति डाईट**
1.	स्पेशल	– चपाती (चुपड़ी) पेटभर, पनीर की सब्जी, एक सुखी सब्जी व दाल/दालफ्राई, चावल पूलाव,रायता/दही,सलाद व मिठाई पीस दो (100 ग्राम) तथा नमकीन	
2.	साधारण	– चपाती (चुपड़ी) पेटभर, सीजनल सब्जी एक व दाल,चावल,सलाद,दही व मिठाई पीस दो (100 ग्राम)	
3.	पैकेट	–भोजन (8पूड़ी,एक सुखी सब्जी 150 ग्राम प्लास्टिक कटोरी में पैक,आचार,मिठाई पीस दो (100 ग्राम) मय भोजन पैकेट मे पैक)	
4.	नाश्ता प्रति प्लेट मय चाय	एक कचौरी/समोसा/ब्रेड पकौडा तथा जलेबी (100ग्राम) अथवा मिठाई पीस (100ग्राम) एवं चाय	
5.	चाय	चाय(150 मि.ली)	
6.	आईसक्रीम	एक कप (लगभग100ग्राम)	

दिनांक :.........................

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मालिक/प्रतिनिधि का नाम ....

पता ....

फोन/मो0 नं. ....

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) सीकर

वर्ष 2020–21 में होने वाले संभावित कृषक प्रशिक्षणों/भ्रमण में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय, आपूर्ति हेतु सीमित बोली सं0 01/2020–21 की शर्ते :–

नोट :– बोलीदाता को बोली फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही बोली शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बोली के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपनी दरें उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर **भोजन एवं चाय–नाश्ता आपूर्ति** लिखकर प्रस्तुत की जावें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावें। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर शर्तो एवं समझोतो पर सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
3. बोलीदाता को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में साफ–साफ लिखा जाना चाहिएं। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
4. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी ।
5. बोली भोजन व्यवस्था के अधिकृत एवं अनुभवी फर्मो व व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जावें।
6. बोलीदाता का वाणिज्य कर विभाग में पंजियन होना आवश्यक है तथा पंजियन प्रमाण पत्र व पैनकार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
7. प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले खाने(बिना पैकेट) एवं नाश्ते का मीनू निम्न प्रकार होगा:–
   I–नाश्ता–कचौरी/समोसा/ब्रेड पकौड़ा,एक मिठाइ पीस (100ग्राम) अथवा जलेबी 100ग्राम एवं चाय (150 मि0ली0)।
   II–खाना(साधारण)–देशी घी से चुपडी चपाती पेटभर, सीजनल सब्जी एक,दही, दो पीस मिठाई(100ग्राम) व दाल,चावल तथा सलाद।
   III–खाना(स्पेशल)–देशी घी से चुपडी चपाती पेटभर, पनीर की सब्जी,सीजनल सुखी सब्जी एक,रायता/दही, दो पीस मिठाई(100ग्राम) व दाल/दालफ्राई,चावलपूलाव,नमकीन तथा सलाद।
8. खाने की आपूर्ती बोलीदाता द्वारा जिले के भीतर कही भी आयोजित प्रशिक्षण/मेले/कार्यशाला वाले स्थान पर तथा प्रशिक्षण प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर आपूर्ति करनी होगी।
9. खाना शुद्व एवं ताजा होना आवश्यक हैं।
10. खाना पकाने एवं खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एवं सामग्री तथा खाना खिलाने की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं को अपने स्तर पर करनी होगी।
11. बोलीदाता से कुल भुगतान योग्य राशि मे से नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी।
12. दरें वर्ष 31.03.2021 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
13. **बोली में बोलीदाता की तरफ से लगाई गई शर्ते मान्य नहीं होंगी।**
14. बोलीदाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगां।
15. किसी भी बोली को बिना बताए अस्वीकार/निरस्त व बोली शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा।
16. कार्यालय द्वारा कोई गाड़ी (कॉर्टेज) या परिवहन भुगतान नहीं किया जावेगा तथा बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्चे पर वांछित स्थल पर खाने, नाश्ते एवं चाय की आपूर्ति करनी होगी।
17. बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसने उपलब्ध कराये जाने वाले वर्किंग लंच, नाश्ते आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली हैं तथा बोलीदाता को उच्च क्वालिटी की सामग्री भोजन एवं नाश्ता में प्रयुक्त करनी होगी।
18. संविदाकार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उसे भाड़े पर नहीं देगा।
19. क्रय समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है ,स्वीकार करनें,बिना कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक स्तर की मदों को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रहेगा।
20. राजस्थान खाद्य मिलावटी निरोधक नियम, 1957 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
21. विशेष विवरण :–

- भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर नियमानुसार कटौति की जावेगी।
- संविदाकार/ठेकेदार को जिस दिन जिस आईटम का उपयोग नहीं किया जायेगा उस दिन का उस आईटम का भुगतान देय नहीं होगा।
- चपाती देशी घी से चुपड़ी हुई व दाल/सब्जी शुद्व रिफाईण्ड तेल से बनानी होगी।
- भोजन शुद्व एवं शाकाहारी होना चाहिए।
- भोजन सब्जी आदि पकाने हेतु गेस चुल्हे का ही प्रयोग करना होगा। लकड़ी चुल्हा पूर्णतया अस्वीकार्य होगा।
- भोजन पैकेट मे उपलब्ध कराने का आदेश दिये जाने पर मीनू अनुसार पैकेट निर्धारित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।

- सभी प्रकार के बर्तनों, भोजन एवं खाना खिलाने के स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था बोलीदाता को करवानी होगी।
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के तथा स्वच्छ होने चाहिऐं।
- अनुबंध की शर्तो की पालना नही किए जाने पर संविदाकर्ता को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा तथा वर्किंग लंच एवं नाश्ते हेतु दुसरे ठेकेदार से व्यवस्था करवाई जा सकेगी तथा बोली में स्वीकृत दर से अधिक भुगतान व अन्य खर्चे/क्षतिपूर्ति मूल संविदाकर्ता से वसूली योग्य होगी।
- निर्धारित समय पर संविदाकार खाने, नाश्ते आदि की व्यवस्था में विफल रहता है तो संविदाकार/ठेकेदार की जोखिम एवं लागत (Risk Cost) पर व्यवस्था स्थानीय बाजार से कर ली जावेगी तथा अन्तर राशि संविदाकार/ठेकेदार से वसूली योग्य होंगी।
- यदि वर्किंग लंच नही दी जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्ति युक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त (**Repudiate**) कर सकता हैं। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार का अपमिश्रण पाये जाने पर अथवा खराब होने से किसी के स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पडनें की स्थिति मे अनुमोदित बोलीदाता के विरूद नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

22. विवाद की स्थिति में सीकर स्थित न्यायालय मान्य होगा।
23. बोली प्रपत्र शुल्क वापस देय नही होगा। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ शुल्क की राशि का बैकर चैक/डीडी बोली के साथ पृथक से संलग्न करना होगा जो उपनिदेशक कृषि (वि.)जिला परिषद सीकर के नाम देय होगा। इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
24. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। तथा बोली के साथ बोली के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
25. अमानत राशी का बैकर चैक/डीडी **उपनिदेशक कृषि (वि.)जिला परिषद सीकर** के नाम देय होगा।
26. निर्धारित समय पर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
27. उपरोक्त के अलावा अन्य शतें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वितिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।
28. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं समय समय पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, आदेश प्रभावी होंगें तथा Annexure A, B, C & D की पूर्ति आवश्यक हैं।

(एस आर कटारिया)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
सीकर

क्रम संख्या 1से 28 तक शर्ते मुझे/हमें स्वीकार हैं जिसके सहमति स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर